



उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Transmission Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN:U40101UP2004SGC028687

GSTN: 09AAACU8823E1Z9

कारपोरेट टैक्स (जी०एस०टी० सेल) Corporate Tax (GST Cell)

कक्षा संख्या-320, तृतीय तल, शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001, ई-मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com

Room No.- 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX - 8320,

दिशा-निर्देश सं०: / का०टैक्स एवं जी०एस०टी० / 2020 /

दिनांक ०६ / १० / 2020

ई-मेल

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०।

मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०) / 765 केवी / सी०
एण्ड सी० / सी०एम०यू०डी० जानपद (i) / (ii) पारिषण मध्य / पश्चिम
दक्षिण-पूर्व / उत्तर-पूर्व / दक्षिण-पश्चिम / दक्षिण-मध्य
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०
लखनऊ / मेरठ / प्रयागराज / गोरखपुर / आगरा / झांसी।

कृपया इस कार्यालय द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश सं० 21/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 दिनांक 30.09.2020 के तारतम्य में पुनः अवगत कराना है कि CBIC के नोटिफिकेशन सं० 73/2020-Central Tax (संलग्नक) दिनांक 01.10.2020 के द्वारा माह अक्टूबर, 2020 के e-invoice जनित करने के लिये 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। उदाहरण हेतु यदि Tax Invoice दिनांक 03.10.2020 को निर्गत की जाती है तो उसको e-invoice Portal पर दिनांक 02.11.2020 तक अपलोड किया जा सकता है। किन्तु यह छूट सिर्फ अक्टूबर माह के लिये लागू है, दिनांक 01.11.2020 से e-invoice real time basis पर जनित करना होगा।

संलग्नक:- यथोपरोक्त

(१० के० गुप्ता)

अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

दिशा-निर्देश सं०: 21/का०टैक्स एवं जी०एस०टी०/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
2. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०) / वित्त / आपरेशन / कार्य एवं परि० / एस०एल०डी०सी / वाणिज्य एवं नियोजन उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन / गोमती नगर, लखनऊ के निजी सचिव।
3. उप महाप्रबन्धक (लेखा), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारिषण मध्य / पश्चिम / दक्षिण-पूर्व / उत्तर-पूर्व / दक्षिण-पश्चिम / दक्षिण मध्य, लखनऊ / मेरठ / प्रयागराज / गोरखपुर / आगरा / झांसी।
4. लेखाधिकारी (निधि) / मुख्यालय वित्त एवं भुगतान इकाई (पारिषण मुख्यालय), उ० प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन लखनऊ।
5. अधिशासी अभियन्ता, सम्बद्ध निदेशक (ऑपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, 11वां तल शक्ति भवन विस्तार, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संलग्नक:- यथोपरोक्त

(१० के० गुप्ता)

अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा)

[To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i)]

**Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
Central Board of Indirect Taxes and Customs**

Notification No. 73/2020 – Central Tax

New Delhi, the 1st October, 2020

G.S.R.....(E). - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons required to prepare the tax invoice in the manner specified under sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, who have prepared tax invoice in a manner other than the said manner, as the class of persons who shall, during the period from the 1st day of October, 2020 to the 31st day of October, 2020, follow the special procedure such that the said persons shall obtain an Invoice Reference Number (IRN) for such invoice by uploading specified particulars in **FORM GST INV-01** on the Common Goods and Services Tax Electronic Portal, within thirty days from the date of such invoice, failing which the same shall not be treated as an invoice.

[F. No. CBEC 20/16/09/2019-GST (Part – I)]

(Pramod Kumar)
Director, Government of India